संख्या- 54 /71-4-2024

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 21 अगस्त, 2024

विषयः- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/एम0एस0) का शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2024/1394, दिनांक 15.07.2024 के संदर्भ में शासन के पत्र संख्या-49/71-4-2024, दिनांक 17.08.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों के शुल्क निर्धारण हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-I/666507/2024-71-4099/34/2021, दिनांक 12.06.2024 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-3(घ) के अनुसार फीस का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है, से है। उक्त अधिनियम की धारा-10(1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप,
(दो) उपलब्ध अवसंरचना,
(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत,
(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय,
(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय,
(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रथम बार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में के0एम0सी0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, महराजगंज उ0प्र0 तथा अजय संगाल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साईसेंस एण्ड रिसर्च एण्ड आयुष्मान हास्पिटल, शामली, उ0प्र0 को 150 सीट एम0बी0बी0एस0 पाठयक्रम प्रारम्भ करने हेतु लेटर आफ परमिशन प्रदान की गयी है। दिनांक 08.08.2024 को प्रवेश एवं फीस नियमन समिति की सम्पन्न बैठक में उपरोक्त दोनो संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु मेडिकल कालेज के शुल्क निर्धारण के संबंध में अपने समस्त अभिलेख एवं उनके समर्थन में समिति

के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके पास विगत वित्तीय वर्ष की Audited Balance Sheet, Income Expenditure Statement आदि उपलब्ध नहीं है। कंसेसन एग्रीमेंट के बिन्दु संख्या 4.2 व 4.3 में उल्लिखित किसी भी प्रकार का इंसेटिंव उक्त दोनो संस्थाओं को अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। उपरोक्त दोनो संस्थाओं में यू0पी0 नीट यू0जी0 काउंसिलिंग 2024 के माध्यम से आवंटन प्राप्त छात्रों का प्रथम बार प्रवेश होना है। इस वर्ष अभी छात्रों का प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए छात्रों की संख्या के आधार पर प्रति शीट देय सहायता धनराशि का निर्धारण किया जाना भी संभव नहीं है। साथ ही प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार संस्थाओं द्वारा बैंक / ऋणदाता प्रमाण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ब्याज अनुदान भी वर्ष के अन्त में ही देय होगा। अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मोड के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्थापित 02 शैक्षणिक संस्थओं (के0एम0सी0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, महराजगंज उ0प्र0-150 सीट तथा अजय संगाल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साईसेंस एण्ड रिसर्च एण्ड आयुष्मान हास्पिटल, शामली, उ0प्र0-150 सीट) के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु एतद्द्वारा निम्नवत फीस निर्धारित किया जाता है :-

क्र०सं०	संस्था का नाम	प्रतिछात्र/प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने वाला शुल्क (धनराशि लाख में)
1	के0एम0सी0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, महराजगंज उ0प्र0 (एम0बी0बी0एस0 पाठयक्रम)	12,14,683.00
2	अजय संगाल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साईसेंस एण्ड रिसर्च एण्ड आयुष्मान हास्पिटल, शामली, उ0प्र0 (एम0बी0बी0एस0 पाठयक्रम)	12,14,683.00

(1). <u>हॉस्टल शुल्क-</u>

(ए) नॉन ए0सी0 - रू0 1.50 लाख प्रतिवर्ष।
(बी) ए0सी0 - रू0 1.75 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

(2). सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुएः- रू0 3.00 लाख (एक बार)।

(3). विविध शुल्क- रू0 85,600.00 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वारा कोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी। शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

5- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा

संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

शुल्क निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया कराया जाय।

भवदीय,
21/08/2024

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक:यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव, वित्त / पिछड़ा वर्ग / समाज कल्याण / व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2. सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन0एम0सी0), नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री (चिकित्सा शिक्षा विभाग), उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
5. प्रबन्धक प्रधानाचार्य / संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।